



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1237 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No. 1237

विषय/Sub: विमानन टरबाइन फ्यूल, टाइप के-50
Aviation Turbine Fuel, Type K – 50

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहटी रिफाइनरी, पंजीकृत कार्यालय, #जी-9, अलियावर जंग मार्ग, बांद्रा पूर्व, मुंबई – 400 051 द्वारा विकसित एवं उत्पादित "विमानन टरबाइन फ्यूल, टाइप के-50" को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1237, दिनांक 08 नवंबर 2006, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1237 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1237/1आर, दिनांक 30 दिसंबर 2011 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2016 तक था।

This is to state that the "Aviation Turbine Fuel Type K - 50", developed and produced by M/s Indian Oil Corporation Limited, Guwahati Refinery, Reg. off, # G - 9, Aliyavar Jung Marg, Bandra East, Mumbai - 400 051, was issued with Type Approval No.: 1237 vide Ref No.: CEMILAC/5070/TA-1237, dated: 08th November 2006. Subsequently renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1237/1R, dated: 30 December 2011 and with its validity up to 31st December 2016.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 नवंबर 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 सितंबर 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (एफएंडएफ-एफओएल), सेमिलैक, बेंगलूरु – 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st November 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th September 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F-FOL), CEMILAC, Bengaluru - 560 017, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1237, दिनांक 08 नवंबर 2006 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1237, dated: 08th November 2006 is amended as stated herewith.

“[अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए /TA-1237/2R
दिनांक / Date: 21 February 2017
फैक्स सं./ Fax No: 080-25230856




(पी . जयपाल / P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)